

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

आर सी टी नंबर 286 / 17

दांडिक प्रकरण क.-291 / 17

संस्थापित दिनांक-31.08.17

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-रामवती पत्नी कैलाश लोधी आयु 44 वर्ष 02-कैलाश पुत्र अनवंतराम लोधी आयु 48 वर्ष निवासीगण ग्राम नयाखेडा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	
	आरोपीगण
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 16.03.18 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 294, 323, 506,34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी ज्ञानबाई ने दिनांक 22.07.17 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 22.07.17 समय 12:00 बजे फरियादी के घर के पास वावा खेडा ग्राम नयाखेडा गोरा में आरोपीगण डंडे लेकर आए तथा बुरी बुरी गालिया दी एवं फरियादी की लात घूसों आदि से मारपीट की जिससे उसको चोटें आईं। फरियादी के अनुसार आरोपी ने बस स्टेन्ड पर रास्ता रोककर रिपोर्ट नहीं करने दी तथा जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 334/17 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 294, 323, 506, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 341, 323 एवं 506 भाग दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 22.07.17 को समय 12:00 बजे फरियादिया के घर के पास वाला खेडा ग्राम नयाखेडा गोरा पर फरियादिया ज्ञानबाई को मां बहिन के अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने बालो को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के
3. अग्रसरण में फरियादिया ज्ञानबाई का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?

क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के

4. अग्रसरण में फरियादिया ज्ञानबाई की डंडे एवं लात घूसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया ज्ञानबाई को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 ज्ञानबाई, अ.सा.2 आनंद, अ.सा.3 केदारसिंह, अ.सा.4 प्रियंका जैन, अ.सा.5 लालाराम, अ.सा.6 तुलसीराम, अ.सा.7 डॉ पंकल गुप्ता की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपीगण की ओर से बचाव साक्षी व.सा.1 थानसिंह एवं व.सा.2 पुत्तीबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 ज्ञानबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण उसे मारने के लिए चेंट गये थे ओर उसे नीचे गिरा दिया था जिससे उसे कांटे लग गये थे। अ.सा.1 के अनुसार आरोपीगण ने उसे लात घूसों से मारा था तथा खेड़े पर से पत्थर बीनने पर से झगडा किया था। अ.सा.1 के अनुसार वह जब रिपोर्ट करने जा रही थी तब बस स्टेन्ड पर रोककर आरोपीगण ने कहा था कि अगर रिपोर्ट करने गई तो जान से खत्म कर देगे। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पति बस स्टेन्ड पर आ गये थे। अ.सा. 1 के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी01 लेखवद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया था। अ.सा.2 आनंद जो कि फरियादी का पुत्र है ने अपने कथन मे बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसकी मां के साथ मारपीट की थी तथा आरोपीगण कह रहे थे कि रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देगे।

08— अ.सा.1 के अनुसार आरोपीगण ने बस स्टेन्ड पर उसे जान से खत्म करने की धमकी दी थी तथा बस स्टेन्ड पर उसे उसके पति मिल गये थे। अ.सा.6 तुलसीराम जो कि फरियादी का पति है ने अपने कथन में बताया है कि उसे उसकी पत्नी ने घटना के बारे में बताया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसे केवल यह जानकारी है कि उसकी पत्नी और आरोपीगण का झगडा हुआ था जो जमीन की बात पर से हुआ था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उनका रास्ता रोका था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार उनका आरोपीगण से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है तथा उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी पत्नी ने जमीन की रंजिश की वजह से प्रकरण चलाया है। इस प्रकार जहां अ.सा.1 के अनुसार आरोपीगण ने बस स्टेन्ड पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी वहीं अ.सा.6 ने इस तथ्य से इंकार किया है। अ.सा.1 एवं अ.सा.6 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दोनों साक्षी बस स्टेन्ड पर साथ में थे। ऐसी स्थिति में जबकि एक साक्षी यह कथन कर रहा है कि आरोपी ने रास्ता रोका था तथा जान से मारने की धमकी दी थी वहीं दूसरा साक्षी यह कथन कर रहा है कि आरोपीगण ने उनका रास्ता नहीं रोका और न ही जान से मारने की धमकी दी। उल्लेखनीय है कि अ.सा.2 ने अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण कह रहे थे कि यदि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे किंतु मामले के फरियादी की साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि जान से खत्म करने के संबंध में धमकी बस स्टेन्ड पर दी तथा बस स्टेन्ड पर अ.सा.2 उपस्थित नहीं था। इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य कि आरोपीगण ने फरियादी का रास्ता रोका था के संबंध में न तो फरियादी ने अपने कथन में कुछ बताया है तथा अ.सा.6 ने इस तथ्य से इंकार किया है।

09— जहां तक जान से खत्म करने के संबंध में धमकी का प्रश्न है तो इस संबंध में परस्पर विरोधाभासी साक्ष्य अभिलेख पर आई है। उक्त तथ्य का चक्षुदर्शी साक्षी

अ.सा.6 पक्षद्रोही हो गया है तथा उसने जान से मारने की धमकी के तथ्य से इंकार किया है। अ.सा.2 की साक्ष्य इस संबंध में इसलिए विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उपरोक्त साक्षी फरियादी के अनुसार जान से मारने की धमकी देते समय कथित घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र0पी01 के अनुसार घटना का एक अन्य चक्षुदर्शी साक्षी अ.सा.3 केदार है जिसके द्वारा बीच बचाव किया गया। अ.सा.3 ने अपने कथनों में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त साक्षी के अनुसार वह रास्ते से जा रहा था तब उसे ज्ञानबाई ने बताया था कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट करते हुए नहीं देखा। उक्त साक्षी के अनुसार उसके समक्ष कोई झगडा नहीं हुआ। इस प्रकार उपरोक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपीगण द्वारा फरियादिया का रास्ता रोकने एवं उसके साथ गाली गलोच करने तथा उसे जान से मारने की धमकी देने का तथ्य प्रमाणित नहीं हो रहा है। उल्लेखनीय है कि अ.सा.1 ने भी अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा उसके साथ गाली गलोच की गई थी। उपरोक्त तथ्य के बारे में अ.सा.2 जो कि अभियोजन के अनुसार घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है ने भी अपने कथनों में कुछ नहीं बताया है। अ.सा.5 लालाराम ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है।

10— उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि फरियादी की साक्ष्य एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी के साथ गाली गलोच की थी। यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं हो रहा है कि आरोपीगण ने फरियादी का रास्ता रोककर उसे रिपोर्ट करने से रोकने के लिए उसे जान से मारने की धमकी दी।

11— फरियादी के अनुसार आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसके पैर में पीठ में सिर में चोट आई थी। अ.सा.2 के अनुसार आरोपीगण ने उसकी मां के साथ डंडे से मारपीट की थी। अ.सा.3 एवं अ.सा.5 के अनुसार उन्हें इस संबंध में कोई

जानकारी नहीं है। अ.सा.3 एवं अ.सा.5 ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण फरियादी के साथ मारपीट की थी। अ.सा.3 एवं अ.सा.5 ने बीचबचाव करने से इंकार किया है। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी01 के अनुसार अ.सा.3 के द्वारा बीचबचाव किया गया था किंतु इस संबंध में उक्त साक्षी पक्षद्रोही हो गया है। अ.सा.6 जो कि फरियादिया का पति है अभियोजन के अनुसार मारपीट के संबंध में घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे उसकी पत्नी ने बताया था कि उसका आरोपीगण से झगडा हुआ था। अ.सा.7 डॉ पंकज गुप्ता जो कि मेडिकल विशेषज्ञ है ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 22.07.17 को आहत ज्ञानबाई का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें उसके शरीर पर तीन चोटे पाई गई थी जिसकी रिपोर्ट प्र0पी08 है। उक्त रिपोर्ट अनुसार आहत को तीन छिलन थी जो साधारण प्रकृति की थी। अ.सा.4 प्रियंका जैन जो कि मामले की विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया गया था तथा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये थे। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि ज्ञानबाई ने उसे यह नहीं बताया कि आरोपीगण उससे कह रहे थे कि उसके खेड़े में से पत्थर क्यों बीन रही हो।

12— अ.सा.5 के अनुसार उसे साक्षी आनंद ने मारपीट करने वाली बात बताई थी। जहां तक व.सा.1 थानसिंह की साक्ष्य का प्रश्न है तो उक्त साक्षी ने कथन में बताया है कि आरोपी रामवती स्कूल में खाना बनाने का काम करती है तथा दिनांक 22.07.17 को प्र0पी02 के रजिस्टर के अनुसार उसने खाना बनाया था। उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा दो बजे के पूर्व एवं पश्चात के संबंध में प्र0डी02 में उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। इस प्रकार व.सा.1 की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के समय आरोपी रामवती दिनभर स्कूल में थी। जहां तक व.सा.2 पुत्तीबाई की साक्ष्य का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में जानकारी है तथा अन्य किसी घटन की जानकारी नहीं है। इस प्रकार व.सा.1 एवं व.सा.2 की साक्ष्य के आधार पर कोई

निष्कर्ष देना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

13— प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मामले की फरियादिया ने अपने कथनों में बताया है कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी अ.सा.2 के अनुसार भी आरोपीगण ने उसकी मां के साथ मारपीट की थी। अ.सा.6 के अनुसार उसे उसकी पत्नी ने बताया था कि आरोपीगण ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की थी। अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि दोनों पक्षों के मध्य जमीन का विवाद चल रहा है किंतु मात्र इस आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक को फरियादी के साथ मारपीट नहीं की गई समीचीन प्रतीत नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि अ.सा.7 की साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि घटना दिनांक को आहत के शरीर पर तीन साधारण चोटें आई थी। इस प्रकार अ.सा.1 की साक्ष्य की संपुष्टि मेडिकल विशेषज्ञ अ.सा.7 की साक्ष्य से हो रही है। अतः उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित हो रहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट की थी।

14— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 341 एवं 506 भाग दो के आरोप के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण को भादवि की धारा 323 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

15— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्च:—

16— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव जैन का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा मामले की फरियादिया महिला है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

17— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा हिंसा कारित की जाती है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादिया को आई चोटें मामूली प्रकृति की हैं। प्रकरण की एक आरोपी महिला है तथा दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं। यदि आरोपीगण को कारागार के दण्डादेश से दंडित किया गया तो इसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी संतान पर पड़ने की संभावना है। आरोपीगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः आरोपीगण को मात्र अर्थदंड के दंड से दंडित करना समीचीन प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 323 के अपराध में 1000—1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 03—03 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

18— आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

19— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

20— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)